भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2473
05 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

हैदराबाद मेट्रो परियोजना में भ्रष्टाचार

2473. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हैदराबाद मेट्रो परियोजना में चल रह किसी घोटाले/भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि रियायतदाता (कन्सेशनीयर) ने राज्य सरकार से सांठ-गांठ करके किराए में अवैध रूप से दो गुणा से भी अधिक की वृद्धि की है और इसके बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवहार्यता अन्तर वित्त पोषण (वी.जी.एफ.) के एक बड़े हिस्से को प्राप्त किया है और उसका गबन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रियायतदाता को रियायत करार के अनुच्छेद 41 को लागू न करके, बिना कमाए गए भारी लाभों का अवैध रूप से गबन करने दिया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; **और**
(घ) क्या सरकार का इस मामले में कोई समिति गठित करने/जांच शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): हैदराबाद मेट्रो परियोजना वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण सहित सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत राज्य सरकार का पहल-कार्य है और प्रारंभ में इसे दि आँध्रप्रदेश म्युनिसिपल ट्रामवेज (निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत संस्वीकृत किया गया था। तदनन्तर, मानकों में एकरूपता लाने के साथ-साथ मेट्रो रेल परियोजनाओं के संबंध में रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा सुरक्षा प्रमाणीकरण हेतु परियोजना को मेट्रो रेलवे (प्रचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के

अंतर्गत रखा गया। तेलंगाना राज्य सरकार ने सूचित किया है कि किराया हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा मेट्रो रेलवे (प्रचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 में निहित उपबन्धों के अनुसरण में निर्धारित किए गए हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उन्हें हैराबाद मेट्रो रेल परियोजना में चल रहे किसी घोटाले अथवा भ्रष्टाचार अथवा गबन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****